## <u>Haryana Vidhan Sabha</u> Starred Question No. 79

## To Provide Job to Martyr's Son

Q. No. \*79

Sh. Subhash Gangoli (Safidon)

Will the Home Minister be pleased to State whether it is a fact that about three years ago, an assurance of job to the son of S.P.O. Kaptan Singh who was martyred near the Butana of Gohana was given, if so, the reasons for not giving a job to the son of said martyr?"

Reply:

Shri Anil Vij, Home Minster, Haryana.

Yes, Sir. An assurance was given for providing job to the son of Late Sh. Kaptan Singh, S.P.O. The compassionate appointment to the eligible family member of a Government employee who has attained martyrdom or otherwise died in service is provided under the Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Rules, 2019. The case of Sh. Ankit Nehra son of Late Sh. Kaptan Singh, S.P.O. is not covered under the aforesaid Rules as his late father was engaged as Special Police Officer and the Rules permit compassionate appointment only in case of death of a Government employee working on regular basis. The Government has decided to appoint Sh. Ankit Nehra as Special Police Officer in place of his late father in recognition of his sacrifice and instructions have been issued to the Police Department in this regard. A case for his regular appointment in relaxation of Rules is separately under consideration of the Government. A special ex-gratia grant amounting to Rs. 30 lakhs has already been given to the dependent family by the State Government.

## हरियाणा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 79 (दिनाँक 27.02.2024 को सूचीबद्ध) शहीद के बेटे को नौकरी देने के लिए

प्रश्न संख्या \*79 श्री. सुभाष गांगोली (सफीदों)

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि करीब तीन साल पहले एस.पी.ओ. कप्तान सिंह जो कि गोहाना के बुटाना के पास शहीद हो गए थे के बेटे को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था ,यदि हां, तो उक्त शहीद के बेटे को नौकरी न देने का क्या कारण है?

जवाब:

## श्री अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा

जी श्रीमान। स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह, एस.पी.ओ. के पुत्र को नौकरी का आश्वासन दिया गया था। हरियाणा सिविल (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत सरकारी कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है जो कर्मचारी सेवा के दौरान शहीद हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। श्री अंकित नेहरा पुत्र स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह, एस.पी.ओ. का मामला उपरोक्त नियमों के तहत कवर नहीं हुआ क्योंकि इन नियमों के तहत केवल नियमित आधार पर नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में अनुकंपा नियक्ति प्रदान की जाती हैं। उनके स्वर्गीय पिता एस.पी.ओ. के रूप में कार्यरत थे और सरकार ने श्री अंकित नेहरा को उनके स्वर्गीय पिता के बलिदान के सम्मान में उनके स्थान पर एस.पी.ओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में पुलिस विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। नियमों में छुट देकर उनकी नियमित नियुक्ति का मामला सरकार के पास अलग से विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा आश्रित परिवार को 30 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है।